बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक– 3391
सं0सं0–ह0क0स0 (यो0 / बुनकर ऋण माफी / ऋण प्रस्ताव)– 01 / 2016 पटना, दिनांक– 22/07/2016

प्रेषक,

डा0 एस0 सिद्धार्थ भा0प्र0से0
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मधेपुरा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण (बेतिया), पू0 चम्पारण (मोतिहारी), मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, बैशाली एवं जमुई।

विषय :– **बुनकर ऋण माफी योजना 2010–11 में अवशेष बुनकरों के ऋण माफी के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बुनकर ऋण माफी योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा एवं विद्युतकरघा के लिए बुनकरों द्वारा दिनांक 31.03.2007 तक विभिन्न वाणिज्यिक बैंको से लिए गये मूलधन ऋण राशि संबंधित बैंको के प्रतिपूर्ति हेतु 2010–11 की योजना में अवशेष बुनकरों को बैंको से लिए गए मूलधन राशि की माफी की जाती है। विभिन्न बैंको से प्राप्त माँग तथा प्रमाण–पत्र के आधार पर राशि संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाता है। जिला पदाधिकारी इस राशि को संबंधित बैंको को उपलब्ध कराते है तथा बैंक द्वारा बुनकरों के खातों में राशि डालकर बकाया नहीं रहने का ऋण चुकता प्रमाण–पत्र निर्गत करते हैं।

इस योजनान्तर्गत हस्तकरघा के अतिरिक्त पावरलुम के लिए अधिकतम 5.00 लाख रूपये तक के ऋण की माफी दी जायेगी। रूपया 5.00 लाख से ऊपर के ऋणी विद्युतकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों को भी शामिल करते हुए इस योजना में लाभ दिया जायेगा। इस योजना में ऋण माफी हेतु कट ऑफ डेट 31.03.2007 निर्धारित है। बुनकरों द्वारा लिये गए ऋण के सूद की माफी यदि बैंको द्वारा दी जाए तो रूपया 5.00 लाख तक की मूलधन ऋण राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा संबंधित बैंको को की जा सकेगी। शेष रकम ऋणी बुनकरों द्वारा ही संबंधित बैंक को देय होगा।

योजना के अधीन लाभ वैसे पावरलूम ऋणी बुनकरों को ही अनुमान्य होगा जो अपने पावरलूम पर वस्त्र तैयार करते है यानि व्यावसायिक ऋणी इस योजना का लाभ पाने के हकदार नहीं होंगे।

अतएव अनुरोध है, कि अपने स्तर से बुनकरों की ऋण सूची विभाग को इस आशय के साथ भेजने की कृपा की जाए कि–

(i) संबंधित बैंक से प्रतिवेद्रित ऋण सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित हो।

(ii) मूल एवं सूद की राशि अलग–अलग अंकित करते हुए दिनांक 31.03.2007 तक अद्यतन हो।

(iii) संबंधित बैंक द्वारा ऋणी के बुनकर होने का प्रमण पत्र हो।

(iv) हस्तकरघा एवं पावरलूम बुनकरों की ऋण सूची अलग–अलग हो।

(v) हस्तकरघा एवं पावरलूम पर स्वयं वस्त्र तैयार करने वाले बुनकर ही योजनान्तर्गत शामिल हो।

विश्वासभाजन,

22/3/2011

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग।

ज्ञापांक– 1290 पटना, दिनांक– 11/8/16

प्रतिलिपि –आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11.08.16

अपर उद्योग निदेशक (तक0)
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय,
बिहार, पटना।